सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख, 1938 (श०)

संख्या 490 राँची, गुरुवार,

12 मई**, 2016** (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

4 मई, 2016

1. उपायुक्त, गोड्डा का पत्रांक-1038, दिनांक 02 अगस्त, 2014 एवं पत्रांक-671, दिनांक 27 मई, 2015

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-9084, दिनांक 09 सितम्बर, 2014, पत्रांक-10763, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 एवं संकल्प सं०-10248, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015

संख्या-5/आरोप-1-679/2014 का०-3645--श्री शफीक आलम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला- दुमका), तत्तकालीन प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी, गोड्डा के विरूद्ध उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-1038, दिनांक 2 अगस्त, 2014 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया।

प्रपत्र- 'क' के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के आदेश सं0-68/2013, दिनांक 25 सितम्बर, 2013 के द्वारा श्री प्रमोद कुमार झा, सेवानिवृत्त , ग्रामीण प्रसार कार्यकर्त्ता , ठाकुरगंगटी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र- 'क' गठित कर निदेशक, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा को संचालन पदाधिकारी तथा प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी श्री आलम को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

परन्तु जानबूझकर इनके द्वारा श्री प्रमोद कुमार झा, ग्रामीण प्रसार कार्यकर्त्ता, ठाकुरगंगटी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में प्रतिकूल कार्य किया गया तथा श्री झा आरोप मुक्त हो गये और बिना साक्ष्य के श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही समाप्त हो गयी। श्री आलम द्वारा षडयंत्र के तहत् सरकारी राशि के दुर्विनियोग हेतु श्री प्रमोद कुमार झा, ग्रामीण प्रसार कार्यकर्त्ता, ठाकुरगंगटी को सहयोग किया गया।

उक्त आरोपों के लिए श्री आलम से विभागीय पत्रांक-9084, दिनांक 9 सितम्बर, 2014 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-648/वि0, दिनांक 8 अक्टूबर, 2014 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री आलम द्वारा अपने स्पष्टीकरण में आरोपों को अस्वीकार किया गया है।

विभागीय पत्रांक-10763, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से श्री आलम के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-671, दिनांक 27 मई, 2015 द्वारा आरोपवार मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्री आलम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान तथा उपायुक्त, गोड्डा के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया है कि संचालित विभागीय कार्यवाही में उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में श्री आलम केवल दिनांक 06 फरवरी, 2014 को उपस्थित हुए। इनके द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही तथा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की गयी है ।

श्री आलम की सेवा भूलवश असंपुष्ट प्रतिवेदित हो जाने के कारण उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं0-10248, दिनांक 04 दिसम्बर, .2015 द्वारा इनकी सेवा-सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अर्हता प्राप्त करने की तिथि को एक वर्ष के लिए बढ़ाये जाने का दण्ड दिया गया है ।

श्री आलम को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-2013, दिनांक 02 मार्च, 2015 द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2013 के प्रभाव से सम्पुष्ट किया गया है।

अतः इनके विरूद्ध पूर्व में संकल्प सं0-10248, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड सेवा-सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अर्हता प्राप्त करने की तिथि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, को संशोधित करते हुए इसके स्थान पर इनकी एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 490—50।